संख्या–418/42–नि0अनु0–02/पीएमजीवाई–ऊर्जा/2003

प्रेषक,

आलोक कुमार,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक,
उत्तरांचल पावर कार्पोरेशन लि0,
उत्तरांचल, देहरादून।

नियोजन अनुभाग।

देहरादूनः दिनांकः 29 अक्टूबर, 2003

विषय– **वित्तीय वर्ष 2003–04 में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम हेतु प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत स्वीकृत ऋण।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के पत्र संख्या–44 (1)पी0एफ0आई0/2003000110 दिनांक 08 सितम्बर 2003 तथा अपर सचिव, ऊर्जा विभाग के पत्र संख्या–775/नौ–3–उ0/प्रधनमंत्री बजट/2003, दिनांक 15 अक्टूबर, 2003 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2003–04 के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण किये जाने हेतु प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत ऋण के रूप में शासनादेश संख्या–415/नि0अनु0–03/पीएमजीवाई/2003 दिनांक 28 अक्टूबर, 2003 के संलग्नक में वर्णित सूची के अनुसार जनपदवार चयनित ग्रामों के विद्युतीकरण विवरणानुसार रू0 1.00 करोड़ की लागत की योजनाओं हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 1.00 हजार (रू0 एक हजार मात्र) संगत मद से एवं रू0 49.99 लाख (रू0 उन्चास लाख निनानवे हजार मात्र) की प्रथम किश्त की धनराशि का बी0एम0–15 के विवरणानुसार इतनी ही धनराशि को बचतों से व्यावर्तित करते हुए आपके निर्यतन पर व्यय हेतु रखने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उपरोक्त स्वीकृत धनराशि में से रू0 5.00 लाख (रूपये पाँच लाख मात्र) संलग्नक–2 में जनपद पिथौरागढ़ के उल्लिखित गाँवों की सूची के विद्युतीकरण हेतु धनराशि आहरित कर प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल जल विद्युत निगम देहरादून को उपलब्ध करायी जायेगी।

3– कार्य करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर पर्चेज रूल्स एवं टेण्डर विषयक शासन के नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

4– योजनाओं के संबंध में वित्तीय/भौतिक प्रगति नियमित रूप से शासन, वित्त विभाग, ऊर्जा विभाग, महालेखाकर एवं भारत सरकार को उपलब्ध कराई जायेगी तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रारूप पर ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार को शासन के माध्यम से ससमय प्रेषित किया जायेगा। कार्य करते समय भारत सरकार के मानकों का अनुपालन किया जायेगा।

5– आवश्यक सामग्री का भुगतान संदर्भित फर्म से प्राप्त सामग्री की जांच के उपरान्त किया जायेगा तथा सामग्री गुणवत्ता के लिये किसी सक्षम अधिकारी को अधिकृत किया जाये जो इस हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। स्वीकृति धनराशि का अन्यत्र उपयोग न किया जाये। मितव्ययता नितांत आवश्यक है।

6– उक्त स्वीकृति धनराशि का आहरण अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा अपने हस्ताक्षर से तैयार एवं जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर बिल कोषाकार, देहरादूकन में प्रस्तुत कर किया जायेगा।

7– उक्त स्वीकृति ऋण पर अन्तिम रूप से रू0 10.50 प्रतिशत की दर से ब्याज होगा। ऋण की अदायगी ब्याज सहित बीस बराबर वार्षिक किश्तों में की जायेगी।

8– ऋण की 50 प्रतिशत धनराशि के लिए 5 वर्ष के प्रारम्भ में मारिटोरियम दिया जायेगा। जिसके बाद 15 बराबर किस्तों में ब्याज सहित ऋण की अदायगी की जायेगी।

9– प्रतिवर्ष देय किस्त का भुगतान प्रतिवर्ष माह जून से मार्च (अगले वर्ष) में 15 तारिख से 10 (दस) बराबर मासिक किश्तों में किया जायेगा। जिसका प्रथम किश्त की अदायगी 01 जून, 2003 से प्रारम्भ होगी।

10– ऋण की अदायगी में त्रुटी की दशा में अवशेष मूलधन व ब्याज की किश्तों पर 13.25 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज (पेनल) देय होगा।

11– उपरोक्त स्वीकृत ऋण को *चालू वित्तीय वर्ष 2003–04 के आय–व्ययक में लेखानुदान संख्या–21 के लेखाशीर्षक–6801–बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज–05–पारेषण एवं वितरण–आयोजनागत–190–सरकारी क्षेत्र के उपकमों और अन्य उपकमों में निवेश–01– केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–02–प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना –30–निवेश/ऋण* के नामे डाला जायेगा।

12– उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–1694/वित्त अनु0–3/2003, दिनांकः 24, अक्टूबर, 2003 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
अपर सचिव।

संख्या–५१६/42–नि0अनु0–02/पीएमजीवाई–ऊर्जा/2003 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तरांचल, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2– संयुक्त निदेशक वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, आय व्ययक अनुभाग, नई दिल्ली।
3– प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तरांचल शासन को अपर सचिव, ऊर्जा विभाग के पत्र दिनांक 15 अक्टूबर, 2003 के कम में।
4– उप निदेशक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, वित्त व्यय विभाग, नई दिल्ली को उनके पत्र दिनांक 08 सितम्बर, 2003 के कम में।
5– निजी सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तरांचल को मा0 मुख्यमंत्री के संज्ञानार्थ।
6– श्री एल0एम0 पंत, अपर सचिव, वित्त, बजट प्रकोष्ठ, उत्तरांचल शासन।
7– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल ।
8– समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल ।
9– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
10– वित्त अनुभाग–3 उत्तरांचल शासन।
11– विभागीय पत्रावली/गार्ड फाईल।
12– प्रबंध निदेशक, उत्तरांचल जल विद्युत निगम, देहरादून।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
अनु सचिव।

c:\Wog\pmgy_a

नियंत्रक अधिकारी– सचिव, नियोजन।
(प्रशासनिक विभाग– नियोजन विभाग)

आय–व्ययक प्रपत्र–15
पुनर्विनियोग–2003–04 विवरण पत्र

अनुदान संख्या–21 आयोजनागत से आयोजनागत

(धनराशि हजार रूपये में)

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण	चालू मदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष धनराशि (सरप्लस)	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है	पुर्नविनियोग के बाद स्तम्भ 5 की कुल धनराशि	पुर्नविनियोग के बाद स्तम्भ 01 में अवशेष धनराशि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
अनुदान संख्या–21 6801–बिजली परियोजनाओ के लिए कर्ज 01–जल विद्युत उत्पादन –आयोजनागत 190–सरकारी क्षेत्र के उपकमों और अन्य उपकमों में निवेश 04–नार्वाड से जल विद्युत निगम को ऋण 30–निवेष/ऋण 300000	—	—	300000	अनुदान संख्या–21 6801–बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज 05–पारेषण एवं वितरण 190–सरकारी क्षेत्र के उपकमों और अन्य उपकमों में निवेश 01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें 02–प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 30–निवेष/ऋण 4999	5000	25000	पावर कार्पोरेशन उत्तरांचल हेतु पीएमजीवाई के अर्न्तगत नियोजन विभाग में ऋण के रूप में बजट व्यवस्था का न होने के कारण पुर्नविनियोग
योग– 300000	—	—	300000	4999	5000	25000	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग के बजट मैनुअल के परिच्छेद– 150, 151, 155, 156 में उल्लिखित प्राविधानों एवं सीमाओं का उल्लघन नहीं होता है।

(आलोक कुमार)
अपर सचिव।

c:/negi/ BM-15-2003

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–3
संख्या- /वि0अनु0–03/2003
देहरादून: दिनांक: 21 अक्टूबर, 2003

पुर्नविनियोग स्वीकृत।

(के0सी0 मिश्र)
अपर सचिव,
वित्त विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार,उत्तरांचल,
ओबराय मोटर्स बिल्डिंग,
सहारनपुर रोड, देहरादून।

संख्या- /नि0 अनु0/2003, तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
2– सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तरांचल शासन।
3– वित्त अनुभाग–03.

(आलोक कुमार)
अपर सचिव,
नियोजन विभाग।

c:/negi/ BM-15-2003

PROPOSED PHYSICAL & FINANCIAL PROGRESS FOR THE YEAR 2003-04

(Electrification work by Uttaranchal Jal Vidyut Nigam Limited at Tehsil Dharchula in Dist. Pithoragarh under P.M.G.Y.)

1. Name of the state Govt./UT : Uttaranchal
2. Report for the period ending : Proposed
3. Allocation and expenditure for the year : 2003-04

Financial Progress

Component	Allocation (Required)	Expenditure in Lacs (Proposed)	Cumulative expenditure for the year
2- Electrification of Village Shyakuri, Jumma. Ranthi, Galati, Chumti and their tok	162.77 Lacs	115.47	262.77 Lacs
3- Electrification of Village Khet, Jamku, Garguwa and their toks		13.53	
4- Electrification of Village Tankul, tok Mangti and tok Bongling (Village Dar)		60.95	

Physical Progress (till date)

Target No. of Villages to be electrified during the year	No. of villages where work is to be completed		No. of village where work is under progress		Remark
	Total	No. of Dalit /Tribal Bastis out of the total	Total	No. of Dalit/Tribal Bastis out of the total	
All remaining 2 (Two) Villages (88 toks)	2 villages (Khumti & Tankul)	11 S.C. toks Gasila (Shyankuri), Kula, Nantura (Jumma) Seli, Dhandunga, Afroda, Cherkatya, Danidhar (Shyankuri) Rubkhet, Kotma (Galati) Talla Khumti (Khumti)	29 toks of 2 villages Toks of Village –Garguwa Shyari, Takidhar Toks of Village - Jumma Devrukh, Jadghar, Chharakala, Bhanar, Serpalta, Nag, Rwada, Jamuni, Khatpoli, Tusrani, Raljani, Nalpani, Esu-Parsu, Ekta, Kalai, Lekh, Boragaon, Naya Basti, Bunga, Bogtila, Bunga, Tilam	3 S.C. toks Takidhar (Garguwa) & Ekla-Chetkala, Badmuli (Jumma)	All remaining work shall be taken up in this financial year.

14.06.03

(G.S. Budiyal)

Asst. Engineer (E&M)